

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने चिकित्सा शिक्षा भवन गोविन्द मार्ग जयपुर
ई-मेल directormedicaleducation@gmail.com, addr.dme-rj@gov.in


क्रमांक प.7(48)/डीएमई/एकेडमिक/2019/पार्ट1/ 2908 दिनांक 25/6/19.

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक,
मेडिकल कॉलेज
उदयपुर /अजमेर

विषय:- राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा 95/2015 दिनांक 04.05.2015 बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा 95/2015 दिनांक 04.05.2015 के द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2014 -15 के पश्चात बढ़ाई जाने वाली सीटों पर 15 प्रतिशत एनआरआई सीटों का प्रावधान किया गया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज उदयपुर एवं अजमेर में 50-50 एमबीबीएस सीटों की अभिवृद्धि की अनुमति भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12012/350/2019-ME.I दिनांक 21.6.2019 के द्वारा राजस्थान राज्य के मेडिकल कॉलेजों में EWS (Economically Weaker Section) के अन्तर्गत 50 सीटें राजकीय मेडिकल कॉलेजों की अभिवृद्धि दी गई है अतः राज्य मंत्रिमण्डल की उपरोक्त आज्ञा की पालना में 50-50 सीटों की 15 प्रतिशत सीटों पर एनआरआई कोटों से भरे जाने की कार्यवाही करें। उक्त सीटों पर ली जाने वाली फीस की सूचना आपको अविलम्ब उपलब्ध करा दी जावेगी।


अति० निदेशक (प्रशा०)
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक प.7(48)/डीएमई/एकेडमिक/2019/पार्ट1/ दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. संयोजक नीट यू.जी काउन्सिलिंग बोर्ड 2019 प्रधानाचार्य एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज जयपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति० निदेशक (प्रशा० /एम०ई) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. उप निदेशक (एके) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. गार्ड फाईल।


अति०निदेशक (एम.ई)